International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 367-372

सूचना के अधिकार और भारत में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसके महत्व पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन

अशोक सांखला*

सार

सूचना का मुक्त प्रवाह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समाज को बढ़ने और लोगों के बीच निरंतर बहस और चर्चा को बनाए रखने में मदद करता है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही के बिना जीवित नहीं रह सकती है और जवाबदेही का मूल सिद्धांत यह है कि लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वे दिन गए जब सार्वजनिक लेन–देन को सख्त गोपनीयता में रखा जाता था, एक ऐसी प्रथा जिसके कारण अक्सर भ्रष्टाचार, वैधानिक और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग और दुरुपयोग होता था। सूचना की स्वतंत्रता प्रशासन में खुलापन लाती है जो राज्य के मामलों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार को अधिक जवाबदेह रखने और अंततः भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है। सरकार के कामकाज के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण नियम होना चाहिए और गोपनीयता एक अपवाद। सरकार को पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया गया था; इसके प्रभावी उपयोग से लंबे समय में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हमारी जैसी जिम्मेदार सरकार में जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, कोई रहस्य नहीं हो सकता। शासन संरचना को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत नागरिकों के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार से ग्रसित और वंचित नागरिकों की समस्याओं के प्रति तेजी से असंवेदनशील होती जा रही व्यवस्था में, सूचना के अधिकार ने नागरिकों को जवाबदेही प्राप्त करने और सुशासन के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने का वादा दिखाया है।

शब्दकोशः *अधिकार, सुशासन, सूचना, संविधान।*

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य है। यहां सरकार जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। इसलिए, हमारे देश के लोगों को राज्य के मामलों के बारे में जानने का अधिकार है। सूचना की स्वतंत्रता प्रशासन में खुलापन लाती है जो राज्य के मामलों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार को अधिक जवाबदेह रखने और अंततः भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है। सूचना का मुक्त प्रवाह लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समाज को बढ़ने और लोगों के बीच निरंतर बहस और चर्चा को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन 2005 तक एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित जानकारी तक पहुंच संभव थी। इससे पहले आम लोगों को सार्वजनिक नीतियों और व्यय के बारे में जानने का कोई कानूनी अधिकार

* शोधार्थी, विधि विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

नहीं था। यह काफी विडंबना थी कि जिन लोगों ने सत्ता के लिए नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को वोट दिया और सार्वजनिक गतिविधियों की भारी लागत के वित्तपोषण में योगदान दिया, उन्हें प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। सुशासन की अवधारणा सीधे तौर पर जानने के अधिकार से निकलती है जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीशुदा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। सभी आधुनिक सरकारें मानती हैं कि खुलापन सुशासन के सिद्धांतों में से एक है। यह तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, पहला, नागरिकों द्वारा सरकार का मूल्यांकन; दूसरा, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी; और तीसरा, यह मतदाताओं पर अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर नजर रखने और पांच साल बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद निष्क्रिय नहीं बैठने का कर्तव्य डालता है। सूचना का अधिकार शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है और इसे लंबे समय से एक मौलिक मानव अधिकार माना जाता रहा है। 1946 में अपने पहले सत्र में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 59 (1) को अपनाया, जिसमें कहा गया था। " सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और उन सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र समर्पित है। "

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित करने की पृष्ठभूमि

सूचना के अधिकार की धारणा को तब बल मिला जब 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 को अपनाया गया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि " हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचारों को प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। साथ ही नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1966 के अनुच्छेद 19 (2) में कहा गया है कि " सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सीमाओं की परवाह किए बिना सभी प्रकार की जानकारी और विचारों को मांगने और प्रदान करने की स्वतंत्रता "।

यह सब 1990 में शुरू हुआ जब मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), किसानों और मजदूरों का एक समूह, राजस्थान के एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र देवडूंगरी में बनाया गया था। MKSS के सदस्य एक राज्य रोजगार सृजन योजना के लिए काम कर रहे थे, फिर भी गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन से काफी कम भुगतान किया जा रहा था। इसने उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिक्रिया में उन्हें उत्तर मिला कि सरकारी दस्तावेज उनके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे आधिकारिक दस्तावेज नौकरशाही की 'गोपनीयता' में लिपटे हुए थे, जो उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध नहीं थे, जिनसे वे संबंधित थे। हालांकि, अनुकंपा अधिकारी के कुछ सुराग भारी अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। इन विसंगतियों से निपटने के लिए लोगों को सीधे और आसानी से इस उद्देश्य के लिए संवेदनशील बनाने के लिए कुछ अनूठे माध्यम की आवश्यकता होती है, डज़ै ने लाइव वायर गांव आधारित जन सुनवाई के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में प्रकट की गई जानकारी (जो कुछ भी बाहर लाया जा सकता है) को जन के रूप में संदर्भित करने के साधनों को अपनाया। सनवाई। इस आंदोलन ने हमारा पैसा, हमारा जैसे प्रसिद्ध नारे बुलंद किए हिसाब और हम जाएंगे, हम जिएंगे।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही आंदोलन की दो आवश्यक मांगें थीं, जिन्हें वे पूरी व्यवस्था में स्थापित करना चाहते थे। आरटीआई की शुरुआत ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लोगों को यह एहसास कराया कि गोपनीयता ने भ्रष्ट अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी और गरीबों के अन्य अधिकारों को निकालने में सक्षम बनाया। इस प्रकार आरटीआई की मांग करने वाला एक आंदोलन पैदा हुआ और इसके पहले चैंपियन राजस्थान के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में विकलांग ग्रामीण श्रमिक थे। इसलिए आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के कामकाज, गतिविधियों और निर्णयों के बारे में नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाया जाना चाहिए। मांगे जाने पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक कानून की आवश्यकता थी।

भारत में एक कानूनी आरटीआई की औपचारिक मान्यता दो दशक से भी अधिक समय पहले कानून के

अंततः लागू होने से पहले हुई थी, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी राज्य बनाम राजनारायण में फैसला सुनाया था कि सूचना का अधिकार भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत अभिव्यक्ति।

न्यायमूर्ति केके मैथ्यू ने कहा, "हमारी जैसी जिम्मेदारी वाली सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहां कुछ ही रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है, वह सब कुछ जो उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। वे प्रत्येक सार्वजनिक लेन–देन का विवरण जानने के हकदार हैं।" बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ में, सूचना के अधिकार को कला द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था। 19 (1)(ए). एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में, लोगों के प्रत्येक सार्वजनिक अधिनियम के बारे में जानने का अधिकार, और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक सार्वजनिक लेनदेन के विवरण का वर्णन किया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित 'भाषण और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता का एक पहलू है। साथ ही सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन। बंगाल के मामले में, SC ने माना कि एयरवेव्स एक सार्वजनिक संपत्ति थी और सरकारी मीडिया और निजी चैनलों के बीच इसका वितरण समान आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

सूचना के अधिकार का विचार इस प्रकार, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में पढ़कर विकसित किया गया था। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया यह है कि, भारत के कई राज्यों ने सूचना के अधिकार के अपने कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु राज्य वर्ष 1996 में अपना सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था। गोवा दूसरा राज्य (1997), फिर राजस्थान (2000), कर्नाटक (2000), महाराष्ट्र (2000), दिल्ली (2001) है। असम (2001), मध्य प्रदेश (2002) और जम्मू और कश्मीर (2004)। दिल्ली आरटीआई अधिनियम अभी भी लागू है। जम्मू और कश्मीर, का अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो निरस्त जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2004 और इसके 2008 के संशोधन का उत्तराधिकारी है।

राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 पारित किया। हालाँकि, यह अधिनियम जनता की अपेक्षाओं से कम पाया गया और इसलिए "राष्ट्रीय सलाहकार समिति" (NAC) ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया सूचना तक सहज और अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अधिनियम में शामिल किया गया। एनएसी और अन्य द्वारा दिए गए सुझावों की जांच करने के बाद, सरकार ने कानून में कई बदलाव करने का फैसला किया और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को निरस्त कर दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 12 अक्टूबर, 2005 से पूरी तरह से लागू हुआ।

आरटीआई अधिनियम का संवैधानिक पहलू

यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 का व्युत्पन्न है जो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है, "सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।" विचार यह है कि अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी सरकार और सार्वजनिक संस्थान कैसे काम करते हैं, तो हम इस पर कोई सूचित राय व्यक्त नहीं कर सकते। इस अधिकार को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें प्रेस की स्वतंत्रता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लोकतंत्र के कार्य करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता एक आवश्यक तत्व है। औचित्य यह है कि लोकतंत्र नागरिकों के शासन के केंद्र में होने के मूल विचार – लोगों के शासन के इर्द–गिर्द घूमता है। हमें प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा के महत्व को इस मूलभूत आधार से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट

है कि स्वतंत्र प्रेस का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सूचित किया जाए। यदि यह प्रेस की स्वतंत्रता को दी गई प्रधानता के मुख्य कारणों में से एक है, तो यह स्पष्ट रूप से इससे प्रवाहित होता है कि नागरिकों का जानने का अधिकार सर्वोपरि है। इसके अलावा, चूंकि सरकार लोगों की ओर से चलाई जाती है, इसलिए वे मालिक हैं जिन्हें सीधे सूचना पाने का अधिकार है। इसलिए, सूचना का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू होने के नाते एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है जिसमें सूचना प्राप्त करने और एकत्र करने का अधिकार शामिल है। यह नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 51ए में निर्धारित उनके मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। एक पूरी तरह से सूचित नागरिक निश्चित रूप से इन कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए बेहतर रूप से तैयार होगा। इस प्रकार, सूचना तक पहुंच नागरिकों को इन दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगी।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ, अन्य लेख जो भारतीय संविधान के तहत सूचना के अधिकार को सुरक्षित करते हैं, वे हैं अनुच्छेद 311 (2) और 22 (1)। अनुच्छेद 311 (2) एक सरकारी कर्मचारी को यह पता लगाने के लिए प्रदान करता है कि उसे क्यों बर्खास्त किया जा रहा है या हटाया जा रहा है या पदावनत किया जा रहा है और आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 22(1) के तहत कोई व्यक्ति अपने निरोध के कारणों को जान सकता है। एस्सार ऑयल लिमिटेड बनाम हलार में उत्कर्ष समिति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उभरता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाताओं का सांसदों या विधायकों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त के बारे में जानने का अधिकार लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक मौलिक और बुनियादी है। इन सभी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में तय किया था। उनमें से कुछ का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। हाल ही में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में, न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.एम. खरे द्वारा गठित भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि "सूचना का अधिकार 'भाषण और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता का एक पहलू है, जैसा कि निहित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में। सूचना का अधिकार, इस प्रकार, निर्विवाद रूप से एक मौलिक अधिकार है।"

अच्छी व्यवस्था और सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार के पीछे मूल आधार यह है कि चूँकि सरकार 'लोगों के लिए' है; यह खुला और जवाबदेह होना चाहिए और इसमें उन लोगों से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए जिनका यह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। हमारी जैसी जिम्मेदार सरकार में जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहां कोई रहस्य नहीं हो सकता। जानने का अधिकार, हालांकि पूर्ण नहीं, नागरिकों को सतर्क करता है जब प्रशासन के सामान्य नियमित व्यवसाय के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है। ऐसी गोपनीयता शायद ही वांछनीय है। सूचना भ्रष्टाचार का प्रतिकारक है, यह विवेक के दुरुपयोग को सीमित करता है, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह उपभोक्ता जानकारी प्रदान करता है, यह लोगों की भागीदारी प्रदान करता है और कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता लाता है और मीडिया का अमृत है। वर्तमान में, विकास साहित्य में "शासन" और "सुशासन" शब्दों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। "खराब शासन" को तेजी से हमारे समाजों के भीतर सभी बुराइयों के मूल कारणों में से एक माना जा रहा है। शासन का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णयों को या तो लागू किया जाता है या कार्यान्वयन में विफलता को स्वीकार किया जाता है और उसका उपचार किया जाता है।

दरअसल सुशासन के आठ प्रमुख पहलू हैं। यह सहभागी, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी है और कानून के शासन का पालन करता है। यह आकलन किया जाता है कि यदि भ्रष्टाचार को कम किया जाता है, तो अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर सदस्यों के विचारों को सुना जाता है, जो शासन को बढ़ावा देता है। सुशासन एक आदर्श है जिसे समग्रता में प्राप्त करना कठिन है। हालांकि, सतत मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए, इस आदर्श की दिशा में काम

करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सूचना का अधिकार एक ऐसा तरीका है जिससे सुशासन में सफलता हासिल की जा सकती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में हमने व्यक्तिगत नागरिक के अधिकारों को सम्मान और प्रमुखता नहीं दी है। सच्चा लोकतंत्र तब तक असंभव है जब तक हम व्यक्तिगत नागरिक की महिमा को नहीं पहचानते। यदि व्यक्तिगत नागरिकों को शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त किया जाता है, तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। शासन संरचना को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत नागरिकों के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार से ग्रसित और वंचित नागरिकों की समस्याओं के प्रति तेजी से असंवेदनशील होती जा रही व्यवस्था में , सूचना के अधिकार ने नागरिकों को जवाबदेही प्राप्त करने और सुशासन के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने का वादा दिखाया है।

आलोचना

अधिनियम की कई आधारों पर आलोचना की गई है। यह मांग पर जानकारी प्रदान करता है, इसलिए बोलने के लिए, लेकिन भोजन, पानी, पर्यावरण और अन्य जीवित रहने की जरूरतों से संबंधित मामलों पर पर्याप्त रूप से तनाव की जानकारी नहीं देता है, जो कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से, या स्वप्रेरणा से दिया जाना चाहिए। अधिनियम लोगों को सूचना तक पहुँचने के उनके अधिकार के बारे में शिक्षित करने में सक्रिय हस्तक्षेप पर जोर नहीं देता है। कुछ आलोचनाएँ नीचे दी गई हैं –

- सरकार के पास RTI आवेदनों की बाढ़ आ सकती है और इससे सरकारी मशीनरी जाम हो जाएगी। इस अधिनियम के आने से पहले नौ राज्यों ने समान अधिनियम पारित किया है और उनमें से किसी में भी आवेदनों की बाढ़ नहीं आई है। आवेदन भरने में समय, ऊर्जा और धन लगता है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति तब तक आवेदन दायर नहीं करेगा जब तक कि उसे वास्तव में उस जानकारी की आवश्यकता न हो। मुझे लगता है कि ये आशंकाएं काल्पनिक हैं जैसा कि दिल्ली के मामले में दिख रहा है, 60 से अधिक महीनों में 120 विभागों में 14000 आवेदन दाखिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि प्रति माह प्रति विभाग 2 से कम आवेदन। और यह किसी भी तरह से सरकारी अधिकारियों का बोझ नहीं बढ़ा रहा है।
- दरअसल आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ष सरकार नीतियों को लागू करने में शामिल भ्रष्टाचार और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान लीकेज के कारण सक्षम नहीं होती है। राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि विकास के लिए स्वीकृत प्रत्येक रुपये में केवल 15 पैसा ही इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचता है। इस अधिनियम के आने से सरकार उनके कीमती धन (लगभग 85%) को बचाने में सक्षम होगी जो भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों खो जाती है।
- आरटीआई अधिनियम के अनुसार, पहली अपील उस अधिकारी के समक्ष होगी जो सार्वजनिक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रैंक में वरिष्ठ है, ऐसे मामलों में जहां आवेदक पीआईओ के निर्णय से व्यथित है। लेकिन इस प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में अधिनियम मौन है।
- फिर से, उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सूचना आयुक्तों को अधिनियम के तहत प्रदान किए गए किसी भी दंड को लागू करने का अधिकार है। पेनल्टी का स्वाभाविक रूप से मतलब होगा कि जो राशि लगाई गई है, वह सरकार को भेज दी जाएगी। लेकिन इस अधिनियम में इस प्रावधान को लागू करने के लिए ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान या नियम नहीं है

निष्कर्ष और सुझाव

कोई भी प्रदर्शनकारी सरकार जवाबदेही के बिना जीवित नहीं रह सकती है और जवाबदेही का मूल सिद्धांत यह है कि लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह केवल तभी होता है

जब लोग जानते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है कि वे उस भूमिका को पूरा कर सकते हैं जो लोकतंत्र उन्हें सौंपता है और वास्तव में प्रभावी सहभागी शासन प्रणाली बनाता है। सरकार में पारदर्शिता यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के हितों का पालन किया जाता है, सत्ता में रहने वालों द्वारा संरक्षित किया जाता है, यह सिर्फ एक कारण है कि सुशासन के लिए सूचना तक पहुंच आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में सुरक्षा और सुनिश्चित करना है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में लोगों की भागीदारी केवल वोट डालने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समय–समय पर सरकार के संचालन में उचित निर्णय लेने में भी शामिल होनी चाहिए। लोग अपनी भूमिका तभी निभा पाएंगे जब सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी तक उनकी पूरी पहुंच होगी। एक खुली सरकार की अवधारणा जानने के अधिकार से निकली है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्य करते समय अधिकारी को सूचना चाहने वालों को दुश्मन और विरोधी नहीं मानना चाहिए। वे भारत के नागरिक हैं और अधिकारी उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता हो तो उन्हें जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। विधि आयोग ने व्हिसिल ब्लोअर कानून पर अपनी रिपोर्ट में भी दिया है जिसे जनहित प्रकटीकरण (संरक्षण) अधिनियम कहा जाता है। इस रिपोर्ट का संसद द्वारा कानून में अनुवाद नहीं किया गया है। किसी भी अच्छी सरकार के लिए विधि आयोग द्वारा प्रदान किए गए मसौदा विधेयक के आधार पर व्हिसल ब्लोअर कानून बनाना उचित होगा।

संसद में रखा गया मूल जनहित प्रकटीकरण (व्हिसलब्लोअर) विधेयक कमजोर और अप्रभावी था। हालांकि स्थायी समिति की रिपोर्ट ने कुछ बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। इन्हें तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए और संसद द्वारा एक अधिक व्यापक व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि सूचना मांगने वाले किसी भी नागरिक पर यदि हमला किया जाता है या उसे मार दिया जाता है, तो उसके प्रश्नों को आयोग द्वारा एक्सेस किया जाएगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसी तरह राजस्थान में सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत से जानकारी मांगता है और उस पर हमला किया जाता है तो राज्य की टीम द्वारा सोशल ऑडिट किया जाएगा.

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ; एआईआर 1982 एससी 149
2. एआईआर 1975 एससी 865
3. एआईआर 1973 एससी 106
4. एआईआर 1982 एससी 149
5. एआईआर 1997 एससी 568
6. एआईआर 1995 एससी 1236
7. एआईआर 2004 एससी 1834
8. एआईआर 2002 एससी 2114
9. एआईआर 2004 एससी 1442
10. http%@@lawcommissionofindia-nic-in@reports@179rptp1-pdf] पिछली बार 15.02.2023 को देखा गया था।
11. "नो प्रेसिंग नीड टू अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट", द स्टेट्समेन, (10.12.2011), सैटरडे इंटरव्यू।
12. "नो प्रेसिंग नीड टू अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट", द स्टेट्समेन, (10.12.2011), सैटरडे इंटरव्यू।

❖◆❖